बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन संख्या – 03/2022, सहायक नगर योजना (टाउन प्लानिंग) पर्यवेक्षक लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा के अन्तर्गत दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए आमंत्रित उम्मीदवारों की सूची एवं विस्तृत कार्यक्रम

दिनांक 19.11.2022 एवं 20.11.2022 को पटना अवस्थित परीक्षा केन्द्रों में आयोजित विज्ञापन संख्या – 03/2022, सहायक नगर योजना (टाउन प्लानिंग) पर्यवेक्षक लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग, कुल 104 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए आमंत्रित करता है, जिसका विस्तृत कार्यक्रम निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समयः 10:30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समयः 2:30 बजे अपराह्न से)
		उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
1.	मंगलवार 06.06.2023	300008, 300018, 300035, 300056, 300074, 300108, 300110, 300115, 300117, 300150, 300153, 300159, 300160, 300166, 300182, 300185, 300203, 300214, 300231, 300326, 300329, 300378, 300396, 300401, 300414, 300425	300438, 300445, 300510, 300519, 300521, 300539, 300582, 300597, 300624, 300637, 300638, 300644, 300692, 300704, 300705, 300709, 300731, 300739, 300741, 300753, 300764, 300787, 300801, 300802, 300812, 300819
2.	बुधवार 07.06.2023	300838, 300860, 300863, 300890, 300905, 300917, 300920, 300933, 300948, 300958, 300979, 300993, 301001, 301005, 301011, 301028, 301048, 301049, 301057, 301074, 301107, 301110, 301127, 301142, 301143, 301146	301147, 301155, 301163, 301177, 301209, 301210, 301248, 301276, 301279, 301282, 301286, 301287, 301296, 301301, 301334, 301345, 301351, 301355, 301368, 301385, 301407, 301418, 301421, 301434, 301441, 301443

02. **उपर्युक्त सूची ऑनलाईन आवेदन पूर्ण करने वाले उम्मीदवारों के मेरिट में आने की सूची है एवं इसे अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों की सूची नहीं समझा जाए। उपरोक्त सूची में परिवर्तन हो सकता है, उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन (Documents Verification) के उपरांत अन्तिम परीक्षाफल प्रकाशित किया जायेगा।**

03. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन पत्र दस्तावेज सत्यापन प्रारम्भ होने की तिथि के एक सप्ताह पूर्व आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक (Roll No.) डालकर डाउनलोड कर दस्तावेज सत्यापन में शामिल हो सकते हैं। **दस्तावेज सत्यापन पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे।** आयोग के उक्त वेबसाईट पर आवेदन पत्र का सार प्रपत्र– I उपलब्ध रहेगा, जिसे भरकर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दिन लाना अनिवार्य है। प्रपत्र– I में उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली जानकारियाँ/सूचनाएँ/दावों से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारों की अर्हता प्रभावित होगी तथा इस सम्बन्ध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा एवं तत्सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

04. **दस्तावेज सत्यापन के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं दस्तावेज सत्यापन पत्र में उल्लिखित अपने मूल आवेदन में योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी दावों/सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन की कंडिका– 8 (xiv) एवं कंडिका– 3 नोट के आलोक में निम्नांकित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ निम्नांकित क्रमानुसार दो सेट (अलग–अलग) में भी लाना अनिवार्य होगा:–**

(i) लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये ऑनलाईन आवेदन की Hard Copy की एक प्रति।

(ii) जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए मैट्रिक का प्रमाण–पत्र/अंक प्रमाण–पत्र। उम्मीदवार अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त प्रमाण पत्र में उनका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम सही है।

(iii) विज्ञापन की कंडिका–3 शैक्षिक योग्यता के अनुरूप स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/समकक्ष डिग्री का सभी वर्ष/सेमेस्टर का अंक पत्र।

(iv) विज्ञापन की कंडिका–3 शैक्षिक योग्यता के अनुरूप स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/समकक्ष डिग्री का डिग्री प्रमाण–पत्र।

(v) **पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)।** अभ्यर्थी अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (Non Creamy Layer Certificate) में स्पष्ट रूप से उनका नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, आरक्षण कोटि (पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग), जाति एवं क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, का उल्लेख है।

(vi) **लोहार जाति के उम्मीदवारों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना ज्ञापांक 6026, दिनांक 19.04.2022 के आलोक में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत)।** अभ्यर्थी अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (Non Creamy Layer Cert.) में स्पष्ट रूप से उनका नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, आरक्षण कोटि (पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग), जाति एवं क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, का उल्लेख है।

(vii) **पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र** (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)।

(viii) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)।** अभ्यर्थी अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उनका नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, आरक्षण कोटि (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति), जाति का उल्लेख है।

(ix) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र** (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र)। अभ्यर्थी अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त निवास प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उनका नाम, पिता का नाम, स्थायी पता का उल्लेख है।

(x) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक के लिए बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची -I (विहित प्रपत्र -I) में **सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र।**

(xi) (क) **दिव्यांगता प्रमाण पत्र** बिहार सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में सक्षम प्राधिकार (राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से गठित मेडिकल बोर्ड, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इन सदस्यों में कम से कम एक सदस्य, जैसा भी मामला हो, का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए) द्वारा निर्गत।

(ख) मूक बधिर (DD) दिव्यांग उम्मीदवार (बिहार एवं अन्य राज्य सहित) अपनी दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना (IGIMS, Patna) से बनवाकर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) बिहार राज्य से बाहर के दिव्यांग अभ्यर्थी अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बिहार सरकार द्वारा निर्गत विहित प्रारूप में बिहार सरकार के सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र लाना सुनिश्चित करेंगे।

नोटः– अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में उपर्युक्त कंडिका 4 (xi) के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(xii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 11687, दिनांक–30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में **अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र।** (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं होगा)।

(xiii) **बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में अपने सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र**, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चूके हैं।

(xiv) **भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।**

(xv) केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, तो परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

(xvi) **पहचान पत्र (फोटोयुक्त) यथा** – मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि

(xvii) हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) **फोटो।**

05. (क) उम्मीदवार उपर्युक्त प्रमाण पत्रों/कागजातों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के दिन ही निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने ऑनलाईन मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व होना आवश्यक है।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दिन प्रमाण पत्र/कागजात मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराते हैं और दस्तावेज सत्यापन के समय अवसर लेते हैं तो इस स्थिति में निर्धारित अवधि के अंदर अपेक्षित प्रमाण पत्र नहीं देने वाले ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के सम्बन्ध में यथास्थिति एवं यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(ग) दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा।

06. यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के समय अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर देते हुए औपबंधिक रूप से दस्तावेज सत्यापन में भाग लेने की सशर्त अनुमति दी जा सकती है। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया/परीक्षा के प्रारम्भ से लेकर अब तक के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जाँच कर और सभी चरणों में योग्य और सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल माना जा सकता है अन्यथा उसे असफल एवं अयोग्य घोषित कर उसे काली सूची में दर्ज किया जा सकता है।

07. (i) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब दस्तावेज सत्यापन के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के जाति प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

(iii) भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का दावा करने की स्थिति में अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 11687, दिनांक–30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) निर्गत प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)।

(iv) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या– 2622, दिनांक– 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची -I (प्रपत्र -I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। आय एवं परिसम्पति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

08. **दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। दस्तावेज सत्यापन पत्र निर्गत होने और दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र से किसी भी उम्मीदवार की अभ्यर्थिता सम्पुष्ट नहीं होती है।** ऑनलाईन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा अंकित किये दावों के अनुसार शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती का प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र इत्यादि के विज्ञापन की शर्त्तों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के सम्बन्ध में यथास्थिति एवं यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने/उम्मीदवारों के अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

09. हाल में खींचे गए पासपोर्ट आकार का चार छायाचित्र (Photograph) साथ में अवश्य लायेंगे। इनमें से एक प्रति प्रपत्र I में नियत स्थान पर चिपकायेंगे, एवं दूसरी प्रति, प्रपत्र I के ही प्रथम पृष्ठ पर जेम्स पिन से संलग्न कर देंगे।

10. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय से 1½ घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।

11. दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को **मोबाईल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यथा ब्लू–टूथ, इलेक्ट्रॉनिक पेन इत्यादि** आयोग परिसर में लाना वर्जित है।

12. दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

(हस्ताक्षर) 19/5/23

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना